

# कार्यालय जिला न्यायाधीश बांदा

संख्या- 03 / प्रथम,

बांदा,

दिनांक-24 जनवरी, 2025

## विज्ञप्ति

माननीय जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष चयन समिति के आदेश दिनांक 07.01.2025 के निर्देशानुसार, इस न्यायिक अधीष्ठान में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा के न्यायालय/कार्यालय को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम के न्यायालय में 01 पेशकार, 01 अहलमद व 01 चपरासी का पद तथा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय में 01 पेशकार व 01 अहलमद की नियुक्ति की जानी है।

शासनादेश सं0 3094/सात-न्याय-2-201 जी/95 दिनांकित 05.02.1997 के अनुसार विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों को एक-एक रीडर, अहलमद एवं चपरासी की सुविधा जिला न्यायालयों तथा कलेक्ट्रेट के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से की जायेगी। माननीय न्यायालय के परिपत्र सं0 25/मेन (ए) जे आर (आई) दिनांक 01.09.2004 के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

शासनादेश सं0 1183/सात न्याय/ सात-न्याय-02-2023-201 जी/95 टीसी दिनांकित 14.01.2023 के अनुसार विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रीडर तथा अहलमद को प्रतिमाह 6750/- रूपये मानदेय एवं चपरासी के लिये प्रतिदिन 150/-रूपये की दर से देय होगी।

### विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम

क्रम संख्या	पद का नाम	मानदेय	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	रीडर	6750/- प्रतिमाह	01	00	01
2	अहलमद	6750/- प्रतिमाह	01	00	01
3	प्यून	150/- प्रतिदिन	01	00	01

### विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय

क्रम संख्या	पद का नाम	मानदेय	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	रीडर	6750/- प्रतिमाह	01	00	01
2	अहलमद	6750/- प्रतिमाह	01	00	01
3	प्यून	150/- प्रतिदिन	01	01	00

अतः जिला न्यायालय, बांदा एवं कलेक्ट्रेट, बांदा के सेवानिवृत्त कर्मचारीगण जो उक्त शर्तों के अनुरूप कार्य करने के इच्छुक हों अपना आवेदन पत्र अपने हस्तलेख में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 31.01.2025 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

  
( चन्द्रपाल द्वितीय )

सदस्य चयन प्राधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश  
न्यायालय सं0-01  
बांदा

### प्रतिलिपि -

- जिलाधिकारी, बांदा को इस आशय से प्रेषित कि कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति को चस्पा कराये जाने तथा जिला सूचना अधिकारी को निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय को बांदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे।
- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करावे।

  
( चन्द्रपाल द्वितीय )

सदस्य चयन प्राधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश  
न्यायालय सं0-01  
बांदा